

सं०: 1/43/2019 -स्था० तीन/365-367

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-तीन

तीसरी मंजिल, सेवा भवन
रामकृष्ण पुरम, दिल्ली-110066.
दिनांक 17.11.2021

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली ।

महोदय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 235 के अधीन श्री सजल मित्तल, सहायक निदेशक को उनके द्वारा (गृह नगर के बदले में) वर्ष 2021 के दौरान New Delhi to Patnitop (J&K) दोनों ओर आने और जाने की यात्राओं के लिए रूपए 57000/- (Rupees Fifty Seven thousand only) की अग्रिम अदायगी के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एतद. द्वारा प्रेषित की जाती है । अग्रिम की यह राशि उस अनुमानित राशि के 9/10वें हिस्से तक सीमित है जिसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा अधिकारी को दोनों ओर की यात्रा की लागत के लिए करनी होगी। इस अग्रिम का समायोजन अधिकारी के यात्रा भत्ते बिल से किया जाएगा।

परिवार के सदस्यों का व्यौरा :

S.No.	Name	Relation	Age
1	Shri Sajal Mittal	Self	30 Years
2	Smt. Monika Singh	Wife	29 Years
3	Shri Anil Prakash Agarwal	Father	57 Years
4	Shri Sangeeta Agarwal	Mother	54 Years

- इनका मूल वेतन रू० 59500/- प्रतिमाह है।
- श्री सजल मित्तल, सहा० निदेश० अस्थायी है अतः इनसे जमानत लिया है।
- उपरोक्त व्यय मुख्य शीर्ष 2701;80-General;80.001-D&A;(NP) 01.00.01 वेतन वित्तीय वर्ष 2021-22 में समायोजित किया जाएगा।

भवदीय

(सचिन देव वर्मा)
अवर सचिव

प्रतिलिपि :-

- अनुभाग अधिकारी, लेखा- एक अनुभाग, के० ज० आ०, नई दिल्ली । (दो प्रतियां पी०एफ०एम०एस० सहित)
- श्री सजल मित्तल, सहा० निदेश०, एच० सी० डी० निदेश०, के० ज० आ० नई दिल्ली। अग्रिम लेने के 10 दिन तक की अवधि में यात्रा टिकट सं० व पी० एन० आर० सं० लेखा-एक अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी। उनके द्वारा यात्रा भत्ता अग्रिम लेने के 60 दिन की अवधि में यात्रा आरंभ करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा लिया गया अग्रिम एकमुष्ट वापिस करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि यह स्पष्ट हो जाये कि उनके परिवार के सदस्यों की वापसी यात्रा की अवधि 120 दिन से अधिक है तो अग्रिम का आधा भाग तुरंत वापिस करना होगा। यात्रा की समाप्ति से एक महीने के भीतर यात्रा का समायोजन बिल लेखा-एक अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा। इसकी अवहेलना पर जी० पी० एफ० एक प्रतिषत ब्याज दर के अतिरिक्त 2 प्रतिषत अधिक दण्डस्वरूप ब्याज देना होगा। यदि समायोजन बिल एक महीने तक न प्रस्तुत किया गया तो इस यात्रा रियायत की हकदारी समाप्त हो जाएगी। उन्हें रसीद/टिकट संख्या व पी० एन० आर० सं० आदि भी बिल के साथ देना होगा।
- अपलोड के० ज० आ० बेबसाइट